SAPS_MP

राज्य लोक सेवा अभिकरण

<u>जिला लोक सेवा प्रबंधक के पदों हेतु अर्हता परीक्षा की सूचना</u>

मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला लोक सेवा प्रबंधकों के वर्तमान में/ भविष्य में रिक्त होने वाले पदों की पूर्ति हेतु सूची तैयार करने के लिये आयोजित होने वाली अर्हता परीक्षा हेतु योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। उक्त पद का एकमुश्त मासिक मानदेय निम्नानुसार है

क्र	पदनाम	एकमुश्त मासिक मानदेय
1	जिला लोक सेवा प्रबंधक	रू. 25000/-

आवेदन वेबसाइट www.mponline.gov.in पर ऑनलाइन अथवा किसी भी एम.पी.ऑनलाइन किओस्क पर जा कर, दिनांक 19 सितम्बर'17 से 10 अक्टूबर'17 तक भरे जा सकेंगे। डाक, व्यक्तिगत अथवा ई-मेल से भेजे गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त पद हेतु भर्ती प्रक्रिया, अर्हताएँ/योग्यता, संविदा नियुक्ति की शर्तें आदि की विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.mponline.gov.in एवं www.mpedistrict.gov.in पर 19 सितम्बर'17 से उपलब्ध होगी।

कार्यपालन संचालक

SAPS-MP

राज्य लोक सेवा अभिकरण (म.प्र.)

मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला लोक सेवा प्रबंधक के रिक्त पदों हेतु अर्हता सूची तैयार करने के लिये आयोजित की जाने वाली परीक्षा हेतु योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है I

1. पद का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्रमांक	**पद का नाम**	**पदस्थापना**	**मानदेय**
1	जिला लोक सेवा प्रबंधक	जिला स्तर पर	रू 25,000/- प्रतिमाह

2. पद हेतु आवेदकों की **न्यूनतम अर्हतादायी** योग्यताएँ इस प्रकार हैं:-

क्रमांक	**पद का नाम**	**न्यूनतम अर्हतादायी योग्यता**
1	जिला लोक सेवा प्रबंधक	**1.** मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ एम्.बी.ए. अथवा बी.ई./ बी-टेक (कंप्यूटर)/MCA की उपाधि I

3. पद के लिए आयु **दिनांक 01.01.2017 को न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 35** वर्ष तक होना चाहिये। शासकीय विभाग/ उपक्रम /मण्डल/ शासकीय स्वशासी संस्था में संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को अनुभव के बराबर परंतु अधिकतम 05 वर्ष की छूट रहेगी I

4. आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये गए हैं । डाक, व्यक्तिगत अथवा ई-मेल से भेजे गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. जिला लोक सेवा प्रबंधक पद के लिये आयोजित की जाने वाली परीक्षा ऑनलाइन होंगी, जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछें जाएंगे। प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र डेढ़ घंटे (90 मिनिट) का होगा। इन प्रश्नों में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का प्रतिशत इस प्रकार प्रावधिक हैं:-

क्रमांक	**पद का नाम**	**परीक्षा प्रश्न पत्र में विभिन्न विषयों के प्रश्नों का प्रतिशत**
1	जिला लोक सेवा प्रबंधक	1. कम्प्यूटर नॉलेज – 20% 2. सामान्य जागरूकता -30% 3. तर्कशक्ति - 30% 4. प्रारंभिक गणित एवं एनॉलिटिकल एविलिटी - 20%

<u>प्रश्नों का उपर्युक्त विभाजन प्रावधिक है, जिसमें परिवर्तन हो सकता है।</u>

ऑनलाइन चयन परीक्षा की समय-सारणी

क्र	कार्यवाही	दिनांक
1.	विज्ञापन का प्रकाशन	16-09-2017
2.	ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करना	19-09-2017
3.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	10-10-2017
4.	एडमिट कार्ड उपलब्ध कराना	18-10-2017
5	ऑनलाइन एग्जाम	30/31-10-2017
4.	एग्जाम के प्रश्न पत्र पर अभ्यर्थियों के ऑब्जेक्शन हेतु समय	31-10-2017 से 02-11-2017
5.	अभ्यर्थियों के ऑब्जेक्शन का निराकरण	10-11-2017
6.	रिजल्ट/मेरिट लिस्ट जारी करना	15-11-2017
7.	सबंधित जिलों द्वारा मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों हेतु साक्षत्कार के लिए विज्ञापन जारी करना	17-11-2017
8.	साक्षत्कार हेतु सबंधित जिला स्तर से समिति का गठन एवं साक्षत्कार दिनांक की सूचना अभ्यर्थियों को प्रदान करना एवं पोर्टल पर अपलोड करना	20-11-2017 से 22-11-2017
12.	सबंधित जिला स्तर पर अभ्यर्थियों का साक्षत्कार	30-11-2017 तक

6. **परीक्षा केंद्रः-** परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा की पालियाँ एवं केंद्र निर्धारित की जाएंगी।

7. यह परीक्षा, अर्हता परीक्षा होगी जो मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला लोक सेवा प्रबंधकों के रिक्त पदों (परिशिष्ट-1)/ पद रिक्त (प्रकाशन की तिथि से 2 वर्ष) होने की प्रत्याशा में पदों की पूर्ति हेतु केवल अर्हता सूची तैयार करने के लिये आयोजित की जा रही है।

8. परीक्षा के परिणामस्वरूप टॉप 100 परीक्षार्थियों की मेरिट सूची तैयार की जायेगी, जिसकी सूची पोर्टल MPonline एवं mpedistrict पर प्रकाशित की जायेगी । साथ ही सबंधित रिक्त पदों वाले जिलों एवं योग्य उम्मीदवार द्वारा दी गयी ई-मेल से भी प्रदान की जायेगी ।

9. जिन जिलों में जिला लोक सेवा प्रबंधक का पद रिक्त है, वह ऑनलाइन परीक्षा में योग्य टॉप 100 परीक्षार्थियों हेतु जारी मेरिट लिस्ट के परीक्षार्थियों हेतु जिला स्तर से विज्ञापन जारी कर साक्षात्कार प्रक्रिया करेंगे ।

10. साक्षात्कार में 100 नंबर ऑनलाइन टेस्ट में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर होंगे तथा 20 नंबर साक्षात्कार के आधार पर होंगे ।

11. ऑनलाइन परीक्षा मे समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्रथम वरीयता दी जावेगी।

12. उक्त दोनों ऑनलाइन टेस्ट एवं साक्षात्कार के आधार पर सबंधित जिला स्तर पर अंतिम सूची तैयार की जायेगी, साथ ही नियुक्ति भी सबंधित जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा की जायेगी I

13. अन्नतिम सूची सबंधित जिले के पोर्टल एवं mpedistrict पर प्रकाशित की जायेगी । साथ ही योग्य उम्मीदवार द्वारा दी गयी ई-मेल पर भी प्रदान की जायेगी ।

14. मेरिट सूची के शेष योग्य उम्मीदवार को भविष्य में किसी जिले में पद रिक्त/ त्याग-पत्र/सेवा समाप्त आदि होने की दशा में अर्हता सूची में से वरीयता के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन सबंधित जिला कलेक्टर कर सकेंगे ।

15. जिला लोक सेवा प्रबंधक एवं कार्यालय सहायक का जिले में एकल पद स्वीकृत है । अत: इन एकल पदों के लिए

आरक्षण नियम लागू नहीं होगा।

16. नियुक्ति हेतु प्रस्तावित प्रावधिक अर्हता सूची में आए अभ्यर्थियों को दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। जिस जिले के लिये उसका नाम प्रावधिक अर्हता सूची में आया है, अभ्यर्थी को उसी जिले के कलेक्टर कार्यालय में दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेजो का प्रमाणीकरण जिलों के कलेक्टर कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी करेंगे। अभ्यर्थियों को निम्न दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य हैः-

i. हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंक सूची.
ii. हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंक सूची
iii. पद हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता के समस्त प्रमाण पत्र (जो अभ्यर्थी पर लागू हों)।
iv. मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हेतु (स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र)
v. अनुभव का लाभ लेने की स्थिति में आवश्यक अनुभव प्रमाणपत्र

दस्तावेज सत्यापन के उपरांत सभी अर्हताएँ ठीक पाये जाने पर ही वास्तविक पदस्थापना आदेश जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा। उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने एवं दस्तावेज असत्य पाये जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी अमान्य कर दी जावेगी।

17. **निरर्हताएः-**

i. **पररुपधारणः- किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास उसके लिये अनर्हकारी माना जावेगा।**

ii. **कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत करने पर।**

iii. **कदाचरण संबंधीः-किसी भी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा यदि उसे शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो। यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।**

iv. **ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज है अथवा उसके विरुद्ध दर्ज किसी अपराधिक मामले में वह दोषी सिद्ध हुआ हो।**

v. **स्वास्थ्य संबंधी मानसिक रूप से फिट न होने परः- किसी भी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नही किया जावेगा जब तक कि वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर दे।**

vi. **फर्जी दस्तावेज / चयन के स्तर पर जानकारी** छिपायी हो।

vii. **वर्तमान या पूर्व में किसी भी जिला से कदाचरण, अनुशासनहीनता आदि के कारण सेवा से प्रथक किये गए हों अथवा इस सम्बन्ध में कोई प्रकरण विचाराधीन हो।**

18. **<u>चयन सूची की वैधताः- अर्हता सूची की वैधता जारी किये जाने दिनांक से 02 वर्ष के लिये होगी।</u>**